

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

27 FEB 2017

क्रमांक प. 22(5)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक

::आज्ञा::

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिक को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	रेणु कनिष्ठ विधि अधिकारी	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) सीकर	कॉलेज व्याख्याता प्रतियोगिता परीक्षा, 2014 के साक्षात्कार हेतु
2.	पूजा कनिष्ठ विधि अधिकारी	उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, श्रीगंगानगर	कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014-15 के साक्षात्कार हेतु
3.	राजेन्द्र कुमार कनिष्ठ विधि अधिकारी	जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर	कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014-15 के साक्षात्कार हेतु
4.	सोमदत्त खाण्डपा कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजकीय अधिवक्ता, कार्यालय जयपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आयोजित A.D.J. Exam - 2017

शर्त:-

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृति नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त सभी कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

-हं-

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

*August 27-09-17*  
संयुक्त शासन सचिव